अजमेर कौर

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य

7 मई, 2004

[न्यायमूर्ति ब्रिजेश कुमार और न्यायमूर्ति अरुण कुमार]

पंजाब भूमि सुधार अधिनियम,1972; धारा 3 (4) और 11 (5), (7): पति और पत्नी द्वारा भूमि स्वामित्व के संबंध में विवरणी दाखिल करना – कलेक्टर ने अधिशेष के रूप में कुछ भूमि का आदेश दिया-अपनी पत्नी की मृत्यु के लगभग 5 साल बाद आवेदक द्वारा पुनर्निर्धारण के लिए आवेदन दायर किया गया -कलेक्टर ने अभि परिनिर्धारित किया कि आवेदक के पास कोई अधिशेष भूमि नहीं थी- पुनर्विलोकन पर, कलेक्टर द्वारा उलटा गया-अपने पिता की मृत्यु के बाद आवेदक की बेटी द्वारा पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन याचिकाएं/रिट याचिका दायर की गई -राजस्व अधिकारियों और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया-अपील पर अभि परिनिर्धारित-पुनर्निर्धारण के लिए आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि यह आवेदन उसकी पत्नी की मृत्यु के लगभग 5 साल बाद दायर किया गया था-यह मानते हुए कि भूमि मालिक को आवेदन दायर करने का अधिकार था, फिर भी इसका उचित समय के भीतर

उपयोग किया जाना चाहिए-विलंबित स्तर पर आवेदन को अनुमति देने के विनाशकारी परिणाम होंगे और जिसका परिणाम गंभीर अन्याय होगा— कानून के उद्देश्य को पराजित करता है-कलेक्टर ने मुद्दे को फिर से खोलने और पहले के आदेश को उलटने में गलती की थी।

पंजाब काश्तकारी अधिनियम, 1887 की धारा 80, 81 और 82:

परिसीमा अवधि/पुनर्विलोकन—अभिपरिनिर्धारित: परिसीमा अवधि अधिकतम अवधि नब्बे दिन है-क्योंकि कलेक्टर के अधिशेष भूमि घोषित करने वाले आदेश के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया गया और आगे चुनौती नहीं दी गई इसलिए यह अंतिम हो गया-इसे 6 साल के अंतराल के बाद फिर से नहीं खोला जा सकता है।

अपीलार्थी के पिता, भूमि मालिक ने अपनी पत्नी के साथ भूमि को उनके स्वामित्व में घोषित करने वाली एक विवरणी दाखिल की। कलेक्टर ने अभि परिनिर्धारित किया कि 3.12 एकड़ भूमि अधिशेष थी। भूमि मालिक ने एक अपील दायर की, जिसे आयुक्त ने खारिज कर दिया। इस बीच, अधिशेष भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में नामांतरित कर दिया गया, जिसे तीसरे पक्ष को आवंटित कर दिया गया। भूमि मालिक ने उत्तराधिकार के आधार पर भूमि के पुनर्निर्धारण के लिए एक आवेदन उसकी पत्नी की मृत्यु के लगभग 5 साल बाद दायर किया।

कलेक्टर ने अभि परिनिर्धारित किया कि कोई अधिशेष भूमि नहीं है। पूर्व में घोषित अधिशेष भूमि उसे वापिस दे दी गई थी और राज्य सरकार के पक्ष में हुए नामांतरण को रद्द कर दिया गया था। कलेक्टर ने आवश्यक अनुमति लेने के बाद अपने पूर्व आदेश का पुनर्विलोकन किया और अभि परिनिर्धारित किया कि स्वामी अधिशेष भूमि धारित करता था। स्वामी द्वारा अपील दायर की गई जिस आयुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया था। भूमि मालिक की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री द्वारा एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई जिसे वित्तीय आयुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया। व्यथित होकर उसने एक रिट याचिका दायर की जिसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था; हालाँकि, इसके द्वारा याचिकाकर्ता को पुनर्विलोकन याचिका में उन प्रश्नों को उठाने की अनुमति दी गई जिनकी रिट याचिका में पुनर्विलोकन करने की मांग की गई थी। उसके द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन दायर किया गया जिसे वित्तीय आयुक्त ने खारिज कर दिया था। उन्होंने आयुक्त के आदेश को चुनौती दी, जिसे उच्च न्यायालय ने फिर से खारिज कर दिया। अतः वर्तमान अपीलें दायर की गई ।

अपीलार्थी द्वारा यह प्रतिवाद किया गया था कि जब से कलेक्टर का यह आदेश अंतिम हो गया जिसमे यह धारित किया गया की कोई भूमि अधिशेष नहीं है उसके बाद इसे 90 दिन की परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकित या वापिस नहीं खोला जा सकता है;

और यह कि पंजाब भूमि सुधार अधिनियम की धारा 11 (5) के तहत भूमि मालिक को प्रदान किए गए अधिकार को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (7) के आवेदन से समाप्त नहीं किया जा सकता है।

प्रत्यर्थीगण ने प्रस्तुत किया कि विलंब को माफ करने की शक्ति विधिक प्रावधानों के तहत अधिकारियों में निहित की गई है; और यह कि पुनर्विलोकन दायर करने का समय बढ़ाया जा सकता है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिपरिनिर्धारित किया की

2. परिसीमा अवधि का वर्जन कलेक्टर को भूमि मालिक की अनुज्ञेय भूमि का परिनिर्धारण करने से नहीं रोकता है। पंजाब काश्तकारी अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा (1) के खंड (बी) से पता चलता है कि नब्बे दिन की परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद भी पुनर्विलोकन दायर किया जा सकता है यदि राजस्व अधिकारी विलंब के कारण के बारे में संतुष्ट हो। यह तथ्य कि आयुक्त ने कलेक्टर को अपने आदेश का पुनर्विलोकन करने की अनुमति दी थी, यह दर्शाता है कि परिसिमा अवधि के वर्जन को सफलतापूर्वक दूर कर दिया गया था। [606- एफ-जी]

2.1. 15 अक्टूबर, 1979 को, जब भूमि-धारक की पत्नी ने वसीयत बनाई तब वह भूमि में कोई अधिकार या स्वत्व नहीं रखती थी इसलिए वह

उस भूमि के संबंध में को वसीयत नहीं बना सकती थी। भूमि मालिक द्वारा उसकी पत्नी की मृत्यु के लगभग 5 साल बाद अधिशेष भूमि के पुनर्निर्धारण के लिए आवेदन दायर करने में विलंब अनुचित है और पुनर्निर्धारण के लिए आवेदन केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया। यह मानते हुए कि पंजाब भूमि सुधार अधिनियम की धारा 11 (5) के तहत कि उसे एक आवेदन करने का अधिकार था लेकिन अधिकार का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना था। यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 11 (5) के तहत अधिकार का प्रयोग किसी भी समय आवेदक की इच्छा पर किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 11 (5) के तहत किसी भी समय दायर किए गए आवेदन को अनुमति देने के गंभीर परिणाम होंगे। (606- एफ, जी-एच; 607-ए]

2.2. दिए गए तथ्यों में युक्तियुक्त समय की अवधारणा सबसे उपयुक्त होगी। एक आवेदन को युक्तियुक्त समय के भीतर दायर किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले के तथ्य दर्शाते हैं कि अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (5) के तहत पुनर्निर्धारण, आवेदक की पत्नी की मृत्यु के लगभग 5 साल बाद और कलेक्टर द्वारा भूमि को अधिशेष घोषित करने वाले आदेश के 6 साल से अधिक समय बाद, अंतिम हो गया था जिसका परिणाम कानून के उद्देश्य को विफल करने के अलावा गंभीर अन्याय होगा जिसकी परिकल्पना सामाजिक रूप से लाभकारी कानून के रूप में की गई थी। इस प्रकार, भूमि

स्वामित्व के पुनर्निर्धारण के लिए आवेदन जिसे भूमि मालिक द्वारा अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (5) के तहत दायर किया गया आवेदन अत्यधिक विलंब के आधार पर खारिज किए जाने योग्य था और मुद्दे को फिर से खोलने एवं भूमि का अधिशेष न होना घोषित करने में कलक्टर ने गलती की। भूमि मालिक उत्तरदायी था। [609-जी-एच; 610-ए-बी]

3. पंजाब काश्तकारी अधिनियम 1887 की धाराओं 80-82 में निहित अपील आदि के संबंध में प्रावधान पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के तहत कार्यवाही पर लागू होने से पता चलता है कि अपील या पुनर्विलोकन के मामले में परिसीमा की अधिकतम अवधि नब्बे दिन है। कलेक्टर के 30 सितंबर, 1976 के अंतिम आदेश के खिलाफ अपील को 27 मार्च, 1979 को खारिज कर दिया गया था जिसके तहत 3.12 हेक्टेयर भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था। आदेश को आगे चुनौती न देने से यह अंतिम हो गया था। इस प्रकार 27 मार्च, 1979 को कलेक्टर द्वारा किया गया पुनर्निर्धारण अपने आप ही अंतिम हो जाता है। जिसे 6 साल से अधिक के अंतराल के बाद 23 जुलाई, 1985 के आदेश द्वारा इसे फिर से नहीं खोला जा सकता है।

राजस्व अधिकारियों के समक्ष उत्तरवर्ती कार्यवाही नहीं की जा सकती। कलेक्टर का 23 जुलाई, 1985 का आदेश गैर-अनुमानित है। इसलिए बाद की सभी कार्यवाही विफल है ।

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील सं. 6489–6490/1998

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सी. डब्ल्यू. पी. सं. 11817-18/98 में दिए गए निर्णय और आदेश दिनांकित 23 जुलाई, 1985 से।

अपीलार्थी की ओर से मनोज स्वरूप और सुश्री निधि अग्रवाल।

प्रत्यर्थीगण की ओर से हर देव सिंह, सुश्री मधु मूलचंदानी, सीराज बग्गा, श्रीमती सुरेश बग्गा, कुलदिप सिंह और श्रीमती नरेश बख्शी।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अरुण कुमार द्वारा द्वारा दिया गया।

ये अपीलें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ निर्देशित हैं, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें अपीलकर्ता के हित में पूर्ववर्ती द्वारा भूमि मालिक के एक हिस्से को अधिशेष के रूप में घोषित करने के संबंध में राजस्व अधिकारियों के आदेश को चुनौती दी गई थी। पंजाब भूमि सुधार

अधिनियम, 1972 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में जाना जाएगा)। संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के पिता दया सिंह ने अधिनियम की धारा 5 के तहत अपनी और अपनी पत्नी करतार कौर की जमीनों के स्वामित्व के संबंध में रिटर्न दाखिल किया। रिटर्न की जांच के बाद कलेक्टर ने पाया कि उनके हाथ में 10.12 हेक्टेयर प्रथम श्रेणी की भूमि आई है। उसमें से वे 7 हेक्टेयर भूमि के हकदार थे। इस प्रकार 3.12 हेक्टेयर भूमि अधिशेष पाई गई जिसे भूमि मालिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। दया सिंह ने उक्त आदेश के विरुद्ध कमिश्नर के समक्ष अपील दायर की। दया सिंह द्वारा अपनी अपील में उठाई गई आपत्तियों में से एक यह थी कि उनकी पत्नी करतार कौर के पास मौजूद जमीन को उनके पास मौजूद जमीन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। इस आपत्ति को कमिश्नर ने खारिज कर दिया। यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार किसी व्यक्ति के संबंध में "परिवार" का अर्थ एक व्यक्ति, पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो, ऐसे व्यक्ति और उसके नाबालिग बच्चों से है। कमिश्नर ने अपील खारिज कर दी। दया सिंह की पत्नी करतार कौर की 9 अक्टूबर, 1980 को मृत्यु हो गई। 1982 में, अधिशेष भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में परिवर्तित कर दिया गया और 1983 में इसे तीसरे पक्ष को आवंटित कर दिया गया। 21 जून 1985 को दया सिंह ने करतार कौर की मृत्यु के मद्देनजर भूमि स्वामित्व के पुनर्निर्धारण के लिए अधिनियम की धारा 11(5) के तहत एक आवेदन दायर किया। कलेक्टर ने अपने

आदेश दिनांक 23 जुलाई, 1985 द्वारा यह कहते हुए उक्त आवेदन का निपटारा कर दिया कि दया सिंह के पास भूमि का कोई अधिशेष क्षेत्र नहीं था। 30 सितंबर, 1976 के पूर्व आदेश द्वारा अधिशेष घोषित भूमि को दया सिंह को वापस करने का आदेश दिया गया था और राज्य सरकार के पक्ष में नामांतरण रद्द कर दिया गया था। 19 मई, 1986 को, कलेक्टर ने 23 जुलाई, 1985 के आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए आयुक्त से अनुमति मांगी। आयुक्त ने 14 अगस्त, 1986 को अपेक्षित अनुमति दी। उन्हें दी गई अनुमति के मद्देनजर, कलेक्टर ने पूरे मामले की सुनवाई की। फिर से और अपने आदेश दिनांक 22 दिसंबर के माध्यम से, 1986 में माना गया कि दया सिंह के पास अधिशेष भूमि थी। कलेक्टर द्वारा पहले पारित आदेश दिनांक 30 सितंबर, 1976 को 3.12 हेक्टेयर प्रथम गुणवत्ता भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था, जिसे बरकरार रखा गया था और नामांतरण संख्या 2760 जिसके तहत अधिशेष भूमि का स्वामित्व और कब्ज़ा राज्य सरकार के पक्ष में स्वीकृत किया गया था, को बहाल कर दिया गया था। उक्त आदेश के खिलाफ दया सिंह द्वारा दायर अपील को आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 11 नवंबर, 1987 द्वारा खारिज कर दिया था। 22 दिसंबर, 1987 को दया सिंह की मृत्यु हो गई। आयुक्त के आदेश के खिलाफ वित्तीय आयुक्त के समक्ष अजमेर कौर (यहां अपीलकर्ता) द्वारा दायर संशोधन 27 जनवरी, 1994 को खारिज कर दिया गया था। वित्तीय आयुक्त के इस आदेश को एक रिट याचिका के माध्यम से पंजाब और

हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। हालाँकि, रिट याचिका 3 अक्टूबर को खारिज कर दी गई थी। 1994 में याचिकाकर्ता को एक पुनर्विलोकन याचिका के माध्यम से वित्तीय आयुक्त से संपर्क करने की अनुमति दी गई, जिसमें वह रिट याचिका में उठाए जाने वाले सभी प्रश्न उठा सकती थी। इस प्रकार मामला पुनर्विलोकन आवेदनों के माध्यम से वित्तीय आयुक्त के पास वापस चला गया। पुनर्विलोकन आवेदनों को वित्तीय आयुक्त द्वारा दिनांक 10 मार्च, 1998 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। वित्तीय आयुक्त के आदेश को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं के माध्यम से फिर से चुनौती दी गई थी। 30 जुलाई, 1998 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाएँ फिर से खारिज कर दी गईं। वर्तमान अपीलें उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के विरुद्ध निर्देशित हैं।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज स्वरूप ने अपील के समर्थन में निम्नलिखित बिंदु उठाए:

1. अधिनियम की धारा 11(5) के तहत आवेदन पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 1985 को पारित आदेश, जिसमें कहा गया था कि कोई अधिशेष भूमि नहीं थी, अंतिम हो गया था और विशेष रूप से अधिनियम की धारा 81 के मद्देनजर 90 दिनों के बाद कलेक्टर द्वारा इसका पुनर्विलोकन या इसे फिर से नहीं खोला जा सकता था।

2. अधिनियम की धारा 11(5) भूमि मालिक को एक अधिकार प्रदान करती है जिसे अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (7) द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है।

पहले बिंदु के संबंध में यह तर्क दिया गया था कि अधिकतम प्रत्यर्थीगण (राजस्व अधिकारी) 23 जुलाई 1985 के आदेश के खिलाफ पुनर्विलोकन दायर करने के लिए नब्बे दिनों की अवधि का लाभ ले सकते थे, जिसके तहत अधिशेष भूमि की घोषणा को फिर से परिनिर्धारित किया गया था और यह यह माना गया था कि दया सिंह के पास कोई अधिशेष भूमि नहीं थी। कलेक्टर ने लगभग नौ महीने बाद पुनर्विलोकन की मांग की जो स्पष्ट रूप से समय बाधित थी। जवाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान वकील ने कहा कि अधिकारियों के पास विलंब को माफ करने की शक्ति है, जिसके प्रयोग में पुनर्विलोकन की मांग करने का समय बढ़ाया जा सकता है। प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, हमारा ध्यान अधिनियम की धारा 82 की ओर आकर्षित किया गया जिसमें राजस्व अधिकारियों के आदेशों की पुनर्विलोकन के संबंध में प्रावधान है। धारा 82(1) के उप-खंड (बी) के अनुसार, "किसी आदेश की पुनर्विलोकन के लिए किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह आदेश पारित होने के नब्बे दिनों के भीतर न किया गया हो या जब तक आवेदक राजस्व अधिकारी को संतुष्ट नहीं कर देता कि उसके पास उस अवधि के भीतर आवेदन न

करने का पर्याप्त कारण है।" हमने प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचार किया है। हमारे विचार में परिसीमा का वर्जन कलेक्टर द्वारा दया सिंह की अनुमेय भूमि जोत को फिर से परिपरिनिर्धारित करने से नहीं रोकता है। धारा 82 की उप-धारा (1) के खंड (बी) को पढ़ने से पता चलता है कि नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी पुनर्विलोकन की जा सकती है, जहां राजस्व अधिकारी देरी के कारण से संतुष्ट है।

दूसरे बिंदु पर आते हुए अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) और (7) के बीच टकराव का सुझाव दिया गया है। हम प्रासंगिक प्रावधानों को उद्धृत करना चाहेंगे:

"धारा 11:

(1).....

(2).....

(3).....

(4).....

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी और तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अर्जित भूमि के मामले को छोड़कर या विरासत

द्वारा किसी उत्तराधिकारी द्वारा, पंजाब कानून, पेप्सू कानून या इस अधिनियम के तहत अधिशेष क्षेत्र में शामिल भूमि का कोई हस्तांतरण या अन्य निपटान राज्य सरकार में निहित होने या अधिनियम के तहत इसके उपयोग को प्रभावित नहीं करेगा।

(6).....

(7) जहां अधिशेष क्षेत्र या उसके किसी हिस्से को कलेक्टर द्वारा परिनिर्धारित किए जाने के बाद उत्तराधिकार खुल गया है, उप-धारा (5) के तहत विरासत द्वारा उत्तराधिकारी के पक्ष में निर्दिष्ट बचत इस प्रकार परिनिर्धारित क्षेत्र के संबंध में लागू नहीं होगी।"

उपधारा (5) के अनुसार अधिशेष क्षेत्र में शामिल भूमि का कोई भी हस्तांतरण या अन्य निपटान राज्य सरकार में निहित होने या अधिनियम के तहत इसके उपयोग को प्रभावित नहीं करेगा। हालाँकि, निम्नलिखित मामलों में अपवाद बनाया गया है:

(1) राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण;

(2) उत्तराधिकार, अर्थात परिवार में मृत्यु आदि के कारण भूमि में हित का हस्तांतरण, जो अनैच्छिक हस्तांतरण का मामला होगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि उपधारा (7) उक्त उपधारा में निर्दिष्ट मामलों में अधिशेष भूमि के निर्धारण को फिर से खोलने के संबंध में उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त लाभ को छीन लेती है। उप-धारा (7) के अनुसार जहां कलेक्टर द्वारा अधिशेष क्षेत्र या उसके किसी हिस्से को परिनिर्धारित करने के बाद उत्तराधिकार खुलता है, उप-धारा (5) में प्रदान किया गया अपवाद अधिशेष भूमि के संबंध में लागू नहीं होगा।

यह तर्क दिया गया है कि उपधारा (7) उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त अधिकार को छीन लेती है, इसलिए इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अजीत कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1980) पंजाब लॉ जर्नल 354 मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया। उक्त निर्णय से संकेत मिलता है कि पूर्ण पीठ ने दो प्रावधानों के बीच विरोधाभास उत्पन्न किया और उसे हल करने का प्रयास किया।

हमारे विचार में, अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) और (7) के प्रावधानों के बीच कथित टकराव के संबंध में विवाद में पड़ना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। मामले की परिस्थितियों में, हमें लगता है कि इन अपीलों का निर्णय इस तथ्य के आधार पर किया जा सकता है कि प्रारंभिक आदेश जिसके तहत कलेक्टर ने 3.12 हेक्टेयर भूमि को अधिशेष घोषित किया था, 30 सितंबर, 1976 को पारित किया गया था। उक्त आदेश

के खिलाफ दया सिंह भूमि मालिक द्वारा अपील दायर की गई जिसे 27 मार्च, 1979 को खारिज कर दिया गया था। दया सिंह की पत्नी करतार कौर, जिनके साथ दया सिंह ने भूमि के संबंध में एक संयुक्त रिटर्न दाखिल किया था, की 9 अक्टूबर, 1980 को मृत्यु हो गई। अतिरिक्त भूमि का नामांतरण वर्ष 1982 में राज्य सरकार के पक्ष में कर दिया गया और राज्य सरकार ने इसे वर्ष 1983 में प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7 सहित तीसरे पक्ष को आवंटित कर दिया। प्रतिवादी संख्या 7 ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि उसे आवंटित भूमि पर उसका कब्जा है। ऐसा कहा गया है कि करतार कौर ने 15 अक्टूबर, 1979 को एक गुरुद्वारे के पक्ष में अधिशेष घोषित भूमि के एक हिस्से के संबंध में एक वसीयत बनाई थी, जिसे इस अपील में प्रतिवादी नंबर 8 के रूप में शामिल किया गया है। 15 अक्टूबर, 1979 को जब करतार कौर ने अपनी वसीयत बनाई तो उस जमीन पर उनका कोई हित या स्वामित्व नहीं बचा था और इसलिए वह इसके संबंध में वसीयत नहीं कर सकती थीं। दया सिंह ने 21 जून, 1985 को अधिनियम की धारा 11(5) के तहत अधिशेष भूमि के पुन: निर्धारण के लिए एक आवेदन दायर किया, इस तथ्य के आधार पर कि करतार कौर की मृत्यु हो गई थी और उत्तराधिकार फिर से खुल गया था। यह आवेदन करतार कौर की मृत्यु के लगभग 5 साल बाद किया गया था। हमारे विचार में, आवेदन करने में यह देरी दया सिंह के लिए घातक है और पुनर्निर्धारण का आवेदन केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना

चाहिए था। यह मानते हुए कि दया सिंह को अधिनियम की धारा 11(5) के तहत आवेदन करने का अधिकार था लेकिन अधिकार का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना था। यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 11(5) के तहत अधिकार का प्रयोग आवेदक की इच्छानुसार किसी भी समय किया जा सकता है। कलेक्टर द्वारा अधिशेष भूमि के निर्धारण संबंधी आदेश के गंभीर परिणाम होंगे:

1. जहां तक जमीन के मालिक का सवाल है, उससे जमीन छीन ली गई है।

2. अधिशेष भूमि राज्य सरकार में निहित है।

3. राज्य सरकार अधिशेष भूमि का उपयोग कानून के अनुसार करती है जिसमें भूमिहीन व्यक्तियों जैसे तीसरे पक्ष को खेती आदि के लिए अधिशेष भूमि का आवंटन शामिल है।

धारा 11(5) के तहत किसी भी समय किसी आवेदन को स्थानांतरित करने की अनुमति देना घातक होगा। अधिशेष घोषित होने पर जो भूमि राज्य सरकार में निहित होगी, वह उसका उपयोग नहीं कर सकेगी। राज्य सरकार को भूमि का उपयोग करने से पहले अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कराया जा सकता। जहां भूमि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उसके बाद पारित आदेश का परिणाम भूमि से विनिवेश हो सकता

है। वर्तमान मामले के तथ्यों को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, इसका मतलब वह भूमि होगी जो 1982 में राज्य सरकार में नामांतरण थी और जिसे 1983 में राज्य सरकार द्वारा तीसरे पक्ष को आवंटित किया गया था, परिनिर्धारित स्थिति को फिर से खोलने के परिणामस्वरूप, तीसरे पक्ष को राज्य सरकार को भूमि वापस लौटाने के लिए कहा जाएगा और बदले में राज्य सरकार को भूमि से वंचित करना होगा। भूमि बदले में भूमि मालिक को वापस कर दी जाएगी। कलेक्टर द्वारा भूमि को भूमि स्वामी के पास अधिशेष नहीं घोषित किये जाने का यह परिणाम होगा। ऐसी स्थिति की अनुमति देने का प्रभाव यह होगा कि भूमि प्रवाह की स्थिति में रहेगी। कोई अंतिम निर्णय नहीं होगा. कानून का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। भूमि मालिकों के परिवार में मृत्यु और जन्म की स्थिति में विनिवेशित होने के डर से आवंटी भूमि का उपयोग नहीं कर पाएंगे। मृत्यु और जन्म ऐसी घटनाएँ हैं जिनका घटित होना निश्चित है। इसलिए, धारा 11 की उपधारा (5) में समय सीमा पढ़ना उचित है। दिए गए तथ्यों में उचित समय की अवधारणा सर्वाधिक उपयुक्त होगी। एक आवेदन उचित समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले के तथ्य दर्शाते हैं कि धारा 11 की उप-धारा (5) के तहत करतार कौर की मृत्यु के लगभग 5 साल बाद और भूमि को अधिशेष घोषित करने वाले कलेक्टर के आदेश के 6 साल से अधिक समय बाद पुनर्निर्धारण अंतिम हो गया है। इसके परिणामस्वरूप कानून के उद्देश्य को विफल करने के अलावा गंभीर अन्याय

हुआ, जिसे सामाजिक रूप से लाभकारी कानून के रूप में परिकल्पित किया गया था। इस प्रकार हम मानते हैं कि दया सिंह द्वारा 21 जून को अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) के तहत पुनर्निर्धारण के लिए आवेदन दायर किया गया था।

उपरोक्त तर्क अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (7) के प्रावधान के अनुरूप है। उप-धारा (7) शब्दों का उपयोग करती है "जहां अधिशेष क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से को कलेक्टर द्वारा परिनिर्धारित किए जाने के बाद उत्तराधिकार खोला जाता है।" "कलेक्टर द्वारा परिनिर्धारित" शब्दों का अर्थ यह होगा कि कलेक्टर का आदेश अंतिम रूप ले चुका है। पंजाब काश्तकारी अधिनियम, 1887 की धारा 80-82 में निहित अपील आदि से संबंधित प्रावधान, जैसा कि पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के तहत कार्यवाही पर लागू किया गया है, दर्शाता है कि अपील या पुनर्विलोकन के मामले में सीमा की अधिकतम अवधि नब्बे दिन है। कलेक्टर के 30 सितंबर, 1976 के अंतिम आदेश के खिलाफ अपील, जिसके तहत 3.12 हेक्टेयर भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था, 27 मार्च, 1979 को खारिज कर दी गई थी। आदेश को अंतिम मान लिया गया क्योंकि इसे आगे कोई चुनौती नहीं दी गई। इस प्रकार कलेक्टर द्वारा किया गया निर्णय 27 मार्च, 1979 को अंतिम हो गया। 23 जुलाई, 1985 के आदेश के अनुसार 6 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद इसे दोबारा नहीं खोला

जा सका। इसके बाद की कार्यवाही राजस्व अधिकारियों के समक्ष नहीं रखी गई। 23 जुलाई 1985 का आदेश अप्रमाणिक है। इसलिए बाद की सभी कार्यवाही विफल हो जाती हैं। इस मुद्दे को दोबारा नहीं खोला जा सकता था।

उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हमें इन अपीलों में कोई गुणावगुण नहीं पाते हैं। इन्हें खारिज किया जाता है और पक्षकार अपना-अपना खर्चा वहन करेंगे।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी चेतन कुमार गोयल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।